न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 38 / 2024

उनवान

प्रेमजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1. लवजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
2. हिरजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
3. नानु पिता कुरीया जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
4. रमणलाल पिता कुरीया जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
5. तहसीलदार, तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 18.7.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 से 04 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक कृषि भुमि खाता संख्या 352 (नया) 284 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1109 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 1273 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 1959 रकबा 0.33 हे0, सर्वे नम्बर 3054 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 3055 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 3058 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3059 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 3060 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 3061 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 3062 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 3075 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0.16 हे0 कुल खेत 12 रकबा 1.13 हे0 भूमि ग्राम कोटडा पटवार मण्डल कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा मे स्थित है। उक्त भूमि के मुल खातेदार नाथू चमार थे जिनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके दो पुत्र खेमजी पिता नाथु एवं कुरीया पिता नाथु का नाम उक्त खाते की भुमि मे दर्ज हुआ। खेमजी पिता नाथु के स्वर्गवास के उपरान्त उनके तीन पुत्र (1) लवजी (2) हिरजी (3) प्रेमजी तथा दुसरे पुत्र कुरीया पिता नाथु के स्वर्गवास के उपरान्त उनके दो पुत्र (1) रमणलाल (2) नानु उत्तराधिकारी वारीस हुये। कुरीया एवं खेमजी दोनो भाईयो के स्वर्गवास के पश्चात् उनके उत्तराधिकारीयो के नाम दर्ज करते समय (1) रमणलाल (2) नानु व (3) लवजी (4) हिरजी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया। राजस्व कर्मचारियो की गलती एवं लिपिकियत्रुटी से स्व. खेमजी के तीसरे पुत्र प्रेमजी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना शेष रह गया, जबकि वादी स्व. खेमजी का पुत्र होने से उक्त खाते का प्रतिवादी के समान हकदार व हिस्सेदार है एवं परिवार का अभिन्न व्यक्ति होकर वारीस है। वादी एवं प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नानुसार हैः—

नाथु

खेमजी (फौत) — कुरीया (फौत)

खेमजी (फौत): लवजी (पुत्र), हिरजी (पुत्र), प्रेमजी (पुत्र)

कुरीया (फौत): रमणलाल (पुत्र), नानु (पुत्र)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायात 04 परिवारजन है परन्तु उक्त पैतृक खाते की भूमि मे वादी का नाम राजस्व कर्मचारीयो की गलती व लिपिकिय त्रुटी से दर्ज होना रह गया है। उक्त

पैतृक खाते की भूमि मे वादी का स्व. श्री खेमजी का उत्तराधिकारी वारिस होने से हक और हिस्सा रखता है तथा उक्त राजस्व खाते की भूमि में प्रेमजी का नाम उत्तराधिकारी वारीस के रूप काननुन दर्ज होना आवश्यक हे। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायात 04 उक्त पैतृक खाते की भूमि को वादी की जानकारी के बिना खुर्द बुर्द कर जबरन विक्रय करने आमादा है । जिस कारण उक्त वर्णित भूमि मे वादी को सहखातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी का अपनी पैतृक भूमि पर हक एवं अधिकार है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन उक्त पैतृक भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने आमादा है जिस कारण वादग्रस्त भूमि का वादी को सहखातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद अन्तर्गत 88 रा.का.अ. के तहत तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमण करने से व विक्रय करने से रोका जाना आवश्यक है इस हेतु वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. के तहत प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न अभिलेख तथा प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार स्व0 श्री नाथु के वारिसान है।

अतः पटवार हल्का कोटड़ा के मौजा कोटड़ा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 352 (नया) 284 (पुराना) के कुल खेत 12 रकबा 1.13 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण के साथ प्रेमजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

पटवार हल्का कोटड़ा के मौजा कोटड़ा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 352 (नया) 284 (पुराना) के कुल खेत 12 रकबा 1.13 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण के साथ प्रेमजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना को सहखातेदार घोषित किया कर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18 .7.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 38 / 2024

उनवान

प्रेमजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1. लवजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
2. हिरजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
3. नानु पिता कुरीया जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
4. रमणलाल पिता कुरीया जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
5. तहसीलदार, तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 18.7.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाला हैं कि पटवार हल्का कोटड़ा के मौजा कोटड़ा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 352 (नया) 284 (पुराना) के कुल खेत 12 रकबा 1.13 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण के साथ प्रेमजी पिता खेमजी जाति चमार निवासी कोटडा तहसील अरथुना को सहखातेदार घोषित किया कर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 18.7.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल		कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा